रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5392/2017

राजस्थान व अन्य - अपीलार्थी (गण)

बनाम

डॉ. हमीर सिंह चौहान (मृत) की ओर से विधिक प्रतिनिधिगण व अन्य

- प्रतिवादी (गण)

के साथ

सिविल अपील संख्या 5393/2017

सिविल अपील संख्या 5391/2017

सिविल अपील संख्या 5394/2017

निर्णय

एम .आर . शाह , न्यायाधीश

1. खंडपीठ सिविल विशेष अपील (याचिका) संख्या 50/2015 व अन्य संबद्ध अपीलों में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंडपीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड-पीठ ने यहां अपीलकर्ता राजस्थान राज्य द्वारा प्रस्तुत उक्त अपीलों को खारिज कर दिया जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें प्रतिवादीयों को राजस्थान सहकारी डेयरी संघों (जिसे इसमें इसके बाद "डेयरी संघों" के रूप में संदर्भित किया गया है) के साथ उनके स्थायी समावेशन की तारीख तक राज्य सरकार के साथ उनकी सेवा को जारी मानते हुए सार रूप में पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने का हकदार माना गया था, राजस्थान राज्य ने वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की है।

2. यह कि इसमें प्रतिवादीगणों को शुरू में पशुपालन विभाग में वर्ष 1971 में पशुपालन विस्तार अधिकारी या पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। डेयरी संघों में 1976 से 1978 के बीच उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद उन सभी का बाद में चयन किया गया। प्रासंगिक सरकारी आदेश और प्रासंगिक नियमों के अनुसार, उत्तरदाताओं का मूल विभाग/राज्य सरकार के साथ सेवा का अधिकार बना रहा। कि प्रतिवादी गणों के नाम डेयरी संघों की वरिष्ठता सूची में दिखाई दिए और उन सभी को वर्ष 1983 या 1989 में डेयरी संघों

में पदोन्नत किया गया था। ये सभी 1999 से 2003 के बीच डेयरी संघों के कर्मचारियों के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन सभी को डेयरी संघों से सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हुए।

2.1 तत्पश्चात्, डेयरी परिसंघों से अधिवर्षिता की तारीख से लगभग छह से नौ वर्ष की अवधि के पश्चात् और डेयरी परिसंघों से सेवानिवृत्ति के सभी लाभ प्राप्त करने के पश्चात्, संबंधित प्रतिवादीगणों ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की और राज्य सरकार से पेंशन संबंधी लाभों का दावा किया जो उनकी सेवा को राज्य के साथ जारी रखते हैं। उक्त विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को स्वीकार किया।

2.2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित प्रतिवादीयों का धारणाधिकार वर्ष 1988/1993 डब्ल्यू. ई. एफ.में समाप्त हो गया। वह तारीख जिस पर उन्हें डेयरी संघों में समाहित / स्थायी किया गया था।

2.3 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने खंडपीठ के समक्ष वर्तमान अपीलों को पेश किया। आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है। इसलिए वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3. डॉ. मनीष सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित हुए हैं और श्री उदय गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता संबंधित प्रतिवादीगण -मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने संवेगपूर्ण तरीके से तर्क दिया है कि सभी संबंधित प्रतिवादीगणों को डेयरी संघों में 1976 और 1978 के बीच चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद चुना गया था। यह तर्क दिया गया है कि उन सभी को स्थायी रूप से डेयरी संघों में समाहित कर लिया गया था और वे डेयरी संघों के कर्मचारियों के रूप में डेयरी संघों में तब तक काम करते रहे जब तक कि वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर ली और सेवानिवृत्त नहीं हो गए।

4.1 यह तर्क दिया है कि दिनांक 30.01.1976 के सरकारी आदेश के अनुसार, संबंधित प्रतिवादीगण, जो डेयरी संघों में शामिल हुए थे, उनका धारणाधिकार (सेवा मे बने रहने का अधिकार) दो वर्ष की अवधि के लिए या निगम/संघ में उनका स्थायीकरण, जो भी पहले हो, के लिए रखा गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, डेयरी संघों में उनके स्थायीकरण के बाद, संबंधित प्रतिवादीगण कहीं और कोई सेवा मे बने रहने के हकदार नहीं थे। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए धारणाधिकार को दो वर्ष की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था।

4.2 आगे यह तर्क दिया जाता है कि इसलिए, राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 18 (2) के अनुसार भी, एक बार प्रतिवादीगण डेयरी संघों के कर्मचारी बन जाने के बाद, उनका उस पद को धारण करने का अधिकार समाप्त हो गया, जिस पर वे पहले राज्य सरकार के साथ काम कर रहे थे।

4.3 यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ***राजस्थान राज्य और अन्य बनाम S.N. तिवारी व अन्य (2009) 4 एस. सी. सी. 700*** के वाद मे, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जब पद के विरुद्ध धारण का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को किसी अन्य पद पर मूल रूप से नियुक्त किया जाता है, तो वह बाद के पद के साथ धारण का अधिकार प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति को एक साथ दो मूल पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यह संपूर्ण सेवा न्यायशास्त्र का आधार है। यह तर्क दिया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 18(2) में प्रावधान है कि "एक सरकारी कर्मचारी का पद के लिए धारणाधिकार एक स्थायी पद पर एक धारणाधिकार प्राप्त करने पर समाप्त हो जाता है, जो संवर्ग पद के बाहर है।"

4.4 उपरोक्त तर्कों को प्रस्तुत करते हुए, यह दलील दी जाती है कि प्रतिवादी सरकारी कर्मचारियों के रूप में किसी भी पेंशन लाभ के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे उस पद पर राज्य सरकार में धारणाधिकार नहीं रखते थे जिस पर वे पहले काम कर रहे थे।

5. संबंधित प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री उदय गुप्ता ने इन सभी अपीलों का जोरदार विरोध किया है।

5.1 प्रतिवादीगणों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि इस प्रकार संबंधित प्रतिवादी को डेयरी संघों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और इसलिए, उनका सरकार में सेवा मे बने रहने का अधिकार बना रहा। यह तर्क प्रस्तुत किया है कि किसी भी प्रतिवादी ने नए नियोक्ता, अर्थात डेयरी संघों के साथ अपने समावेशन की तारीख से पहले सरकार में अपना सेवा मे बने रहने का अधिकार नहीं खोया था

5.2 यह तर्क दिया है कि अभिलेखों से यह स्थापित होता है कि प्रत्येक मामले में वे सभी प्रारंभ में राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और सरकारी सेवा में उनका स्थायीकरण हुआ था, फिर उन्हें डेयरी संघों से संबंधित स्थानों पर पोस्टिंग में शामिल होने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया था।

5.3 यह तर्क दिया है कि राजस्थान सरकार ने उप सचिव, राजस्थान सरकार, कृषि विभाग, जयपुर द्वारा जारी पत्र/जी.ओ. दिनांक 30.01.1976 में निहित दिशा-निर्देशों का हवाला दिया है। यह तर्क दिया जाता है कि उक्त दस्तावेज विभाग के एक अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों वाला एक पत्र है और ये दिशानिर्देश नियमों की स्थिति को अधिभावी/अधिक्रमित नहीं कर सकते हैं और इसलिए, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

5.4 यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जहां तक नियमों की स्थिति का संबंध है, सेवा मे बने रहने के अधिकार के प्रश्न का निर्णय राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 15 और 18 के संदर्भ में किया जाना है। यह तर्क दिया है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित सेवा मे बने रहने का अधिकार को उसकी सहमति से भी समाप्त नहीं किया जा सकता है यदि उसे सेवा मे बने रहने के अधिकार के बिना छोड़ दिया जाता है। यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, सरकार के अधीन प्रत्येक प्रतिवादी द्वारा अधिग्रहीत सेवा मे बने रहने का अधिकार संबंधित दुग्ध संघों में उनके पदस्थापन और समायोजित होने से समाप्त नहीं हो सकता जब तक उन्हे समाहित नहीं कर लिया जाता। यह तर्क दिया है कि जब तक वे समाहित नहीं किए गए तब तक वे सरकारी कर्मचारी बने रहे और इसलिए, नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार थे। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 158 उन लोगों के पेंशन के मामलों को नियंत्रित करता है जो स्थानीय निकायों के तहत काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन जहां तक प्रतिवादी का संबंध है, वे अपने संबंधित संघों में स्थायीकरण के बिना स्थायीकरण किए गए सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्यरत थे और इसलिए दिनांक 30.01.1976 के दिशानिर्देश सेवा मे बने रहने के अधिकार से संबंधित नियमों के संचालन को अधिभावी नहीं कर सके। यह तर्क प्रस्तुत किया है कि कानूनी स्थिति यह है कि सरकारी कर्मचारी की सहमति से भी सेवा मे बने रहने के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा

सकता है, यदि उसे सेवा मे बने रहने के अधिकार के बिना छोड़ दिया जाता है।

5.5 उपरोक्त निवेदन करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना गया।

7. प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है और यह विवादित नहीं हो सकता है कि सभी उत्तरदाताओं को प्रारंभ में वर्ष 1971 में राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग में पशुपालन विस्तार अधिकारी या पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, इसके बाद, उन सभी ने आवेदन करके राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड में नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उनके साक्षात्कार के बाद, उन्हें 1976 से 1978 के बीच डेयरी संघों के तहत संबंधित दुग्ध संघों में नियुक्त किया गया। उनके आवेदनों और साक्षात्कारों के बाद, प्रतिवादीयों को उन नियमों और शर्तों के बारे में सूचित किया गया था जिन पर उन्हें राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड में समायोजित/नियुक्त किया जाता है, जो निम्नानुसार हैंः-

> "सहायक अधिकारी के पद के लिए आपके आवेदन और
> साक्षात्कार के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है

कि नियुक्ति से पहले निम्नलिखित नियमों और शर्तों के लिए आपकी स्वीकृति आवश्यक है।

1. आपको 375-850 के ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा और आपके मौजूदा वेतन को उचित रूप से सुरक्षित रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

2. अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता आदि राज्य सरकार की सेवा में स्वीकार्य भत्तों के बराबर होंगे।

3. यद्यपि भर्ती निगम द्वारा की जा रही है, आपका अंतिम नियोक्ता जिला स्तर पर स्थापित सहकारी समितियों का संघ हो सकता है।

4. आपकी पिछली सेवा के संबंध में मामला आपके और राज्य सरकार के बीच सुलझाना होगा। जहां तक निगम का संबंध है, यह एक नई नियुक्ति होगी।

यदि शर्तें स्वीकार्य हैं, तो कृपया नीचे दी गई पावती में स्वीकृति 16 अगस्त 1975 तक भेजें, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि आप नौकरी में रुचि नहीं रखते हैं।"

7.1 इस प्रकार, उन सभी को विशेष रूप से सूचित किया गया था कि उनकी पिछली सेवा के संबंध में, मामले को उनके और राज्य सरकार के बीच सुलझाना होगा और जहां तक निगम का संबंध है, नियुक्ति एक नई नियुक्ति होगी। तत्पश्चात, उन सभी को राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के तहत संबंधित डेयरी फेडरेशन / संघों में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड की चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। जिस समय राजस्थान डेयरी विकास निगम तथा विभिन्न दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में कुछ पदों पर राजस्थान पशुपालन सेवाओं के अधिकारियों का चयन होना था, राजस्थान पशुपालन सेवाओं में कार्यरत इन अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों ने सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व किया कि उनके प्रस्तावों को स्वीकार करने के बारे में अपना मन बनाने से पहले, वे जानना चाहेंगे कि सरकार में उनकी सेवा के संबंध में उन्हें क्या लाभ उपलब्ध होंगे। इसके लिए, संबंधित कर्मचारियों को सम्प्रेषण/शासकीय आदेश दिनांक 30.01.1976 के माध्यम से सूचित किया गया था कि उनका धारणाधिकार (लियन) दो वर्ष की अवधि के लिए या उनके स्थायीकरण तक, जो भी पहले हो, रखा जाएगा। इसलिए, शुरू से ही, संबंधित प्रतिवादीयों को बताया गया था कि उनका धारणाधिकार दो साल की अवधि के लिए या निगम/संघ में उनके स्थायीकरण तक, जो भी पहले हो, रखा जाएगा। अत्यन्त सावधानी से, संबंधित प्रतिवादीयों ने डेयरी विकास निगम/दुग्ध संघ संघों में अपनी

नियुक्तियों को स्वीकार किया था। इसके बाद उन सभी ने डेयरी विकास निगम के तहत अपने-अपने दुग्ध संघों में काम करना जारी रखा। इन सभी को डेयरी विकास निगम के तहत विभिन्न दुग्ध संघों में काम करते हुए पदोन्नति मिली थी। ये सभी डेयरी विकास निगम/दुग्ध संघ संघों के कर्मचारियों के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। उन सभी को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान तब किया गया जब वे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए थे।

इसके बाद डेयरी विकास निगम/दुग्ध संघ संघों से उनकी सेवानिवृत्ति के छह से नौ वर्ष की अवधि के बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें राज्य सरकार से पेंशन संबंधी लाभों का दावा किया गया था कि अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान सरकार की सेवा में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उनका सेवा मे बने रहने का अधिकार (लियन) जारी रखा गया है। एक बार जब प्रतिवादीयों को चयन के बाद समायोजित कर लिया गया और डेयरी विकास निगम/दुग्ध संघ संघों में चयन प्रक्रिया के बाद, उन्होंने इस तरह काम किया और यहां तक कि पदोन्नति भी प्राप्त की, उसके बाद, संबंधित प्रतिवादीयों को सरकारी सेवा को धारण करने का अधिकार समाप्त हो गया। दिनांक 30.01.1976 का पत्र बहुत स्पष्ट है।यहां तक कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 18 के अनुसार, जो धारणाधिकार की समाप्ति का प्रावधान करता है, "किसी पद पर सरकारी कर्मचारी का ग्रहणाधिकार उस संवर्ग के बाहर

एक स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार प्राप्त करने पर समाप्त हो जाता है जिस पर वह है"। इसलिए, एक बार जब संबंधित प्रतिवादीयों को राजस्थान डेयरी विकास निगम/दुग्ध फेडरेशन संघों में चयन और साक्षात्कार के बाद नियुक्त किया गया, तो उनका सरकार में ग्रहणाधिकार समाप्त हो गया।

7.2 जैसा कि राज्य की ओर से सही तर्क दिया गया है, दो मूल पदों पर दो ग्रहणाधिकार नहीं हो सकते हैं। प्रतिवादीयों की ओर से तर्क दिया गया कि यह डेयरी विकास निगम/दुग्ध फेडरेशन संघों में स्थायी नियुक्ति का मामला नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभिलेख पर उनकी नियुक्ति के आदेश बहुत स्पष्ट हैं।उन्हें उचित चयन, साक्षात्कार और उचित चयन प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही नियुक्त किया गया था और इससे पहले भी जब उन्हें संदेह था, तो दिनांक 30.01.1976 के संप्रेषण में इसे स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था। इसलिए, एक बार जब प्रतिवादीयों को स्थायी रूप से समाहित कर लिया गया और वे डेयरी विकास निगम/दुग्ध संघ संघों के कर्मचारी बन गए, तो उनका राज्य सरकार के साथ ग्रहणाधिकार समाप्त हो गया और इसलिए, वे डेयरी विकास निगम/दुग्ध संघ संघों से सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के बाद भी वे राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय

और आदेश अस्थिर हैं और उन्हें अभिखंडित और अपास्त किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं।यह मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि संबंधित प्रतिवादीगण राज्य सरकार से पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ड पीठ द्वारा निर्देशित किया गया है।

तदनुसार वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया जाता है। कोई हर्जा खर्चा नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

न्यायाधीश, [एम.आर. शाह]

न्यायाधीश, [सी.टी. रविकुमार]

नई दिल्ली

अप्रैल 28, 2023

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।